

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 25, शक 1942

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 475-एफ-1-15-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 433 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 26 में, उप-नियम (1) में,—

- (1) खण्ड (क) में, उपखण्ड (दो) में, शब्द तथा अंक “रु. 5000/-” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रु. 3000/-” स्थापित किए जाएं;
- (2) खण्ड (क) में, उपखण्ड (तीन) में, शब्द तथा अंक “रु. 10,000/-” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रु. 5000/-” स्थापित किए जाएं;

2. नियम 75-क में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 24 की उपधारा (3)” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 24 की उपधारा (2)” स्थापित किए जाएं तथा शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 47 की उपधारा (3)” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 47 की उपधारा (2)” स्थापित किए जाएं;

Noti. No. 475-F 1-15-2018-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 read with 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with sub-section (2) of Section 32 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 26, in sub-rule (1),—
  - (1) In clause (a), in sub-clause (ii), the words and figure “Rs. 5000/-”, the words and figure “Rs. 3000/-” shall be substituted.
  - (2) in clause (a) in sub-clause (iii), for the words and figure “Rs. 10,000/-, the words and figure “Rs. 5000/-”, shall be substituted.
2. In rule 75-a,—
  - (1) for the words, brackets and figure “sub-section (3) of Section 24”, the words, brackets and figure “sub-section (2) of Section 24” shall be substituted.
  - (2) for the words, brackets and figure “sub-section (3) of section 47”, the words, brackets and figure “sub-section (2) of Section 47” shall be substituted.
3. In Form-3, for the para, the following para shall be substituted, namely:—
 

“I, Proposer, nominates the following for the election of Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.